निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1942 (श0)
(सं0 पटना 162) पटना, शुक्रवार 12 मार्च 2021

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना
10 मार्च 2021

सं० 1/COSS 10-01/2020-976/श्र०सं०––विभिन्न श्रम संहिताओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट नियमावलियों का सूत्रण किया गया है एवं इन्हीं संहिताओं के प्रावधानों के अपेक्षानुसार आम जनमानस की आपत्ति एवं सुझाव हेतु ड्राफ्ट नियमावलियों का बिहार राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।

विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में ड्राफ्ट नियमावलियों पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु पूर्व में निर्धारित 21 दिनों की अवधि को निम्नवत् विस्तारित किया जाता है।

ØE lE	Mk¶V fu;ekofy;ka dk uke	xtV l[;k ,o a idk'ku dh frfFk	vkifÙk ,o a l>ko gr q i o fu/kkfjr vof/k	foLrkfjr vof/k
1	2	3	4	5
1	ड्राफ्ट वेतन संहिता (बिहार) नियमावली, 2021	118, दिनांक–18.02.2021	गजट में प्रकाशन की तिथि से 21 दिन	गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन
2	ड्राफ्ट औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2021	123, दिनांक–22.02.2021	गजट में प्रकाशन की तिथि से 21 दिन	गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन
3	ड्राफ्ट सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2021	136, दिनांक–01.03.2021	गजट में प्रकाशन की तिथि से 21 दिन	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन

उक्त ड्राफ्ट नियमावलियों के संबंध में यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार को अथवा lcbihar@bihar.gov.in पर ईमेल से भेजा जा सकता है।

fcgkj&jkT;iky d s vkns'k l s]
l ;qdkUr ef.k]
ljdkj d s mi&lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 162-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in